न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—01/2020 (2020/00016) अपील नामान्तरण

उनवान

1—जगदीश पिता हजारी नायक निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—रोशनलाल पिता हजारी नायक निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

अपीलार्थी

बनाम

1—पारस पिता घीसु नायक निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—घीसी पुत्री हजारी नायक निवासी बागोलिया तहसील रायपुर मृतक के बजाय
2/1—नारू पुत्री घीसी नायक पत्नि किशन खारोल निवासी बागोलिया हाल नि. न्यू लाईफ हॉस्पीटल सामे बालाजी सेन्टर विक्रय गेस्ट हाउस उपलेरा राजकोट
2/2—पारसी पुत्री घीसी नायक निवासी बागोलिया हाल निवास महावीर टाईल्स मंगलम गेस्ट हाउस बेमाली चौराहा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
3—काली पुत्री हजारी पत्नि नानुराम नायक निवासी अरनिया तहसील मांगरोल
4—गेणा पुत्री हजारी पत्नि गंगाराम नायक निवासी अंजनाखेड़ा तहसील फतहनगर
5—भगवतीलाल पिता चम्पालाल पत्नि किशन नायक निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगंरा
6—लक्ष्मी पुत्री चम्पालाल पत्नि किशन नायक नि. बागोलिया हाल नि.मुरोली तह. राशमी
7—प्रेमी पुत्री चम्पालाल पत्नि रतन नायक नि. बागोलिया हाल नि. मुरोली तहसील राशमी
8—इन्द्रा पुत्री चम्पालाल पत्नि गोविन्द नायक नि.बागोलिया हाल नि.मुरोली तहसील राशमी
9—ललिता पुत्री चम्पालाल पत्नि पप्पुलाल नायक निवासी खण्डेल तहसील रेलमगरा
10—काली बेवा चम्पालाल नायक निवासी बावड़ी के पास रेगमगरा तहसील रेलमगरा

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व नामान्तरणकरण संख्या 436 ग्राम बागोलिया दिनांक 25.07.1986 ग्राम पचांयत बागोलिया तहसील रायपुर

उपस्थित

1. महेश दाद्दीच, महेन्द्र सिंह चुण्डावत — अधिवक्ता अपीलार्थी

निर्णय

दिनांक 05.05.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बागोलिया तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में अपीलान्ट के नाना जड़ाव आत्मज लक्ष्मण नायक के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 419/1ग रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, 419/4 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा भूमि स्थित थी। खातेदार [illegible] का स्वर्गवास हो चुका तदुपरान्त उसकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 436 [illegible] बागोलिया द्वारा केवल मात्र घीसु आत्मज जड़ाव के नाम गलत रूप [illegible] कर [illegible] जबकि घीसु मृतक खातेदार जड़ाव का जायन्दा पुत्र नही है तथा जड़ाव के 1 पुत्री [illegible] पुत्री जडाव पत्नि [illegible] नायक थी एवं पत्नि जमनी पत्नि जडाव जिनका स्वर्गवास हो चुका है तथा सुन्दरी के 4 पुत्र घीसु, जगदीश, चम्पालाल, रोशनलाल एवं 3 पुत्रीयां घीसी, काली, गेणा जिसमें घीसु आत्मज

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:20:11 IST
Reason: SelfAttested

हजारी का स्वर्गवास हो चुका है तथा चम्पालाल आत्मज हजारी का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारीसान रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 10 है। मृतक खातेदार जडाव के एक पुत्री सुन्दरी है जिससे मृतक खातेदार जडाव नायक की सम्पतियो में अपीलान्ट प्रत्येक का 1/7, 1/7 हिस्सा यानि अपीलान्ट का संयुक्त रूप से 2/7 हिस्सा बनता है लेकिन ग्राम पंचायत ने केवल घीसु को जडाव का पुत्र बताकर गलत रूप से नामान्तकरण फैसल कर दिया जिससे व्यथीत होकर अपीलान्ट की ओर से निम्न आधार पर अपील सादर प्रस्तुत है। मृतक खातेदार जडाव की कृषि आराजियात में प्रत्येक वारीस का 1/7, 1/7 हिस्सा निहित है तथा अपीलान्ट का संयुक्त रूप से 2/7 हिस्सा बनता है। अधिनस्थ पंचायत ने उक्त नामान्तकरण आदेश पारित करने से पूर्व मृतक खातेदार जडाव व मृतका सुन्दरी के विधिक एवं कानुन वारीसान की कोई जांच नही की। अपीलान्ट मृतक खातेदार जडाव के एक मात्र जायन्दा पुत्री मृतक सुन्दरी का पुत्र होकर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् प्रथम श्रेणी के वारीसान है जिससे वादग्रस्त आराजियात में अपीलान्ट का संयुक्त रूप से 2/7 हिस्सा बनता है तथा 3/7 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 का है। ग्राम बागोलिया तहसील रायपुर का नवीन भू प्रबन्ध हुआ जिसमें साबिक आराजी संख्या 419/1ग व 419/4 कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा के नवीन नम्बर 1102 रकबा 0.90 है0, 1103 रकबा 0.79 है0, 1104 रकबा 0.09 है0, 1105 रकबा 0.09 है0, 1106 रकबा 0.07 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.94 है0 कायम किये गये है। उक्त नामान्तकरण आदेश अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है जिसकी अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी नही थी। विरासत का नामान्तकरण गलत रूप से घीसु आत्मज जडाव के नाम फैसल कर दिया है जिससे अपीलान्ट को दिनांक 25.07.86 से 09.01.2020 तक समय की जानकारी अभाव में मुजरा दिलाते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार फरमाई जावें। इस हेतु धारा 5 का मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः सादर प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ पंचायत बागोलिया द्वारा पारित आदेश बाबत् नामान्तकरण संख्या 436 को निरस्त फरमाया जावे व मृतक जडाव की जायदाद में अपीलान्ट्स का 2/7 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावे।

प्रस्तुत अपील के आधार पर प्रकरण दिनांक 23.01.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 10 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:20:11 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी अधिवक्ता [illegible] सुनी सुनी गई।

अपीलार्थी द्वारा अधिवक्ता अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मूल खातेदार जडाव आत्मज लछमणजी के नाम भूमि दर्ज रेकार्ड थी जडाव के कोई पुत्र नही होकर मात्र एक पुत्री सुन्दरी जिसके अपीलार्थी एवं विपक्षीगण विधिक वारीस है जबकि मृतक जडाव के नामान्तकरण मात्र घीसु आत्मज जडाव के नाम खोल दिया गया

जबकि घीसु जडावजी का पुत्र नही होकर पुत्री का पुत्र है जबकि घीसु के भाई जगदीश चम्पालाल रोशनलाल एवं बहिन घीसी काली व गेणा थे उनके भी नाम विरासत का कार्यवाही होनी चाहिये थी जो नही हुई। नामान्तकरण वर्ष 1986 में दर्ज किया गया था जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नही थी जिससे नामान्तकरण स्वीकृत दिनांक 25.07.2006 से 09.01.2020 तक की अवधि को जानकारी अभाव में मुजरा दिलाते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार फरमाते हुए अपील स्वीकार फरमाई जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी नकल एवं नामान्तकरण पर गंभीरता से विचार किया गया तो पाया कि अपील में वर्णित भूमि का मूल खातेदार जडाव पिता ल्छमण जी थे उनके फोत होने पर नामान्तकरण संख्या 436 घीसु पिता जडाव के नाम दर्ज किया गया है जबकि अपीलार्थी की अपील अनुसार घीसु मृतक खातेदार का पुत्र नही होकर पुत्री का पुत्र है और मृतक जडाव की पुत्री सुन्दरी के घीसु के अलावा ओर भी विधिक वारीस होना अपील में दर्शाया गया है। रेस्पोडेन्ट की ओर से बावजुद सूचना कोई जबाव प्रस्तुत नही करने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए नामान्तकरण स्वीकृत दिनांक से अपील प्रस्तुत तक की अवधि को कन्डोन करते हुए अपील स्वीकार की जाना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पंचायत बागोलिया द्वारा नामान्तकरण संख्या 436 के निर्णय दिनांक 25.07.1986 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रायपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक खातेदार जडाव पिता लछमण नायक के विधिक वारीसान की जांच कर अपील में वर्णित भूमि का नामान्तकरण सभी पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि अनुसार नामान्तकरण की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद दाखला नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

05/05/2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:20:11 IST
Reason: SelfAttested